बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001.

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय आर॰बी॰टी॰एस॰ होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में विभिन्न विषयों में व्याख्याता के कुल 08 (आठ) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विषय एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र॰ सं॰	वि॰सं॰	विषय	आरक्षण कोटि							कुल
			अनु॰ जाति	अनु॰ जनजाति	अ॰पि॰ वर्ग	पि॰ वर्ग	पि॰ वर्ग महिला	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	
1.	34/2017	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	01	–	–	–	–	–	01	02
2.	35/2017	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन	–	–	01	–	–	–	–	01
3.	36/2017	होमियोपैथिक फार्मेसी	–	–	01	–	–	–	–	01
4.	37/2017	होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका	–	–	–	–	–	–	01	01
5.	38/2017	सर्जरी	–	–	01	–	–	–	–	01
6.	39/2017	ऑब्स एवं गायनोक्लॉजी	–	–	–	–	–	01	–	01
7.	40/2017	रिपर्टरी	–	–	–	–	–	01	–	01
		कुल	01	00	03	00	00	02	02	08

2. **वेतनमान** :– वेतनमान– 9300–34800/– + ग्रेड पे– 5400/–

3. **शैक्षिक योग्यता** :–

(A) विज्ञापन संख्या– 35/2017, 36/2017, 37/2017 एवं 40/2017 के लिए

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी॰एच॰एम॰एस॰ डिग्री (बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(ii) संबंधित/सम्वर्गी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि योग्यता हो, जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद्, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(iii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(iv) बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, बिहार, पटना में अद्यतन निबंधन होना चाहिए एवं होमियोपैथिक में स्नातकोत्तर योग्यता बोर्ड के राज्य पंजी में सम्मिलित होना चाहिए।

(v) **अधिमान्य योग्यता**– होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज के संलग्न होमियोपैथिक अस्पताल जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद/केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो, में आर॰एम॰ओ॰ एवं/या हाउस फिजिशियन के रूप में 02 (दो) वर्ष का कार्य करने का अनुभव मान्य होगा।

(B) विज्ञापन संख्या– 34/2017, 38/2017 एवं 39/2017 के लिए

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी॰एच॰एम॰एस॰ डिग्री (बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(ii) संबंधित/सम्वर्गी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि योग्यता हो, जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद्, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(iii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(iv) बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, बिहार, पटना में अद्यतन निबंधन होना चाहिए एवं होमियोपैथिक में स्नातकोत्तर योग्यता बोर्ड के राज्य पंजी में सम्मिलित होना चाहिए।

(v) **अधिमान्य योग्यता**– होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज के संलग्न होमियोपैथिक अस्पताल जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद/केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो, में आर॰एम॰ओ॰ एवं/या हाउस फिजिशियन के रूप में 02 (दो) वर्ष का कार्य करने का अनुभव।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम॰बी॰बी॰एस॰ डिग्री जो मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो।

(ii) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (एम॰डी॰/एम॰एस॰/डी॰एन॰बी॰/पी॰जी॰ डिप्लोमा) चिकित्सीय योग्यता, जो मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो।

(iii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(iv) मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया/राज्य सरकार में अद्यतन निबंधन होना चाहिए।

(v) **अधिमान्य योग्यता**– मेडिकल कॉलेज से संलग्न अस्पताल जो मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया/केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो, में आर॰एम॰ओ॰ एवं/या हाउस फिजिशियन के रूप में 02 (दो) वर्ष का कार्य करने का अनुभव।

नोट :– विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री मान्य नहीं होगी।

4. **उम्र सीमा** – दिनांक– 01.08.2016 को न्यूनतम 27 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के लिए 48 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष। बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. **चयन प्रक्रिया** :– (i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के अवधारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन किया जायेगाः–

(क) बी॰एच॰एम॰एस॰ / एम॰बी॰बी॰एस॰ के विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योगः–

75% एवं उससे ऊपर	70% एवं उससे ऊपर	65% एवं उससे ऊपर	60% एवं उससे ऊपर	55% एवं उससे ऊपर	50% एवं उससे ऊपर
20	19	18	17	16	15

(ख) होमियोपैथिक में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए — 10 अंक

(ग) सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति के आलोक में कार्यानुभव (प्रति वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) — 10 अंक

(घ) साक्षात्कार — 06 अंक

(ङ) मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए (किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाये, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक / विभागाध्यक्ष / गाईड, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र दें) — 04 अंक (प्रत्येक प्रकाशन के लिए 02 अंक)

कुल 50 अंक

(च) किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दुहराव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जायेगा।

(छ) साक्षात्कार में अलग से उत्तीर्णांक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, जो 02 अंक का होगा।

(ii) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 25 (पच्चीस) अंक प्राप्त करना होगा।

नोट :– 1. **केवल केन्द्र सरकार / बिहार राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में संविदागत कार्यानुभव ही मान्य होगा।**

2. **कार्यानुभव प्रमाण पत्र देने के निमित सक्षम पदाधिकारी संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।**

6. आरक्षणः

(i) आवेदन प्रपत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नही करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन प्रपत्र के कंडिका–9 में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र.सं.	**आरक्षित कोटि**	**आरक्षण कोड**
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vii) आवेदन प्रपत्र में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा नही करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नही होंगे।

7. शुल्क :–

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 25/– (पचीस) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 75/– (पचहत्तर) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के **खाता संख्या 31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा, शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. अन्य:

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अलग–अलग विज्ञापन संख्या के लिए अलग–अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार ही शुल्क जमा करना होगा।

9. अंतिम तिथि –:

(i) पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह बुधवार, 20 सितम्बर, 2017 की संध्या 5.00 बजे तक विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

आवेदन–पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

10. प्रविष्टि:

(i) आवेदन–पत्र इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही होना चाहिए। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; सही एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे :–

(i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय :–

सि	न	ग	धा

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा– **ANIL KUMAR RAM** को बाक्स में इस तरह लिखेंगें एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे:–

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M

(iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।

(iv) **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04 एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 05 भरें।**

उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) स्तम्भ (कॉलम) 13 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 14 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

11. <u>फोटोग्राफ</u> :–

आवेदन–पत्र के पृ॰–1 एवं 4 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है, उसकी कम–से–कम तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे आयोग द्वारा माँगें जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

12. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।**

13. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

14. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

15. <u>लिफाफा एवं प्रमाण पत्र</u> :–

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें।

(i) मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के लिए); ;

(ii) मैट्रिक का अंक पत्र;

(iii) बी॰एच॰एम॰एस॰ डिग्री प्रमाण–पत्र/एम॰बी॰बी॰एस॰ डिग्री प्रमाण–पत्र;

(iv) बी॰एच॰एम॰एस॰/एम॰बी॰बी॰एस॰ के सभी सत्र का अंक–पत्र;

(v) संबंधित/सम्वर्गी विषय में स्नातकोत्तर (होमियोपैथिक) उपाधि संबंधी प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र;

(vi) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (एम॰डी॰/एम॰एस॰/डी॰एन॰बी॰/पी॰जी॰ डिप्लोमा) प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र;

(vii) इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र;

(viii) बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, बिहार, पटना में अद्यतन निबंधन एवं होमियोपैथिक में स्नातकोत्तर योग्यता बोर्ड के राज्य पंजी में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण–पत्र;

(ix) मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया/राज्य सरकार में अद्यतन निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र;

(x) होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज के संलग्न होमियोपैथिक अस्पताल, जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद्/केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो अथवा मेडिकल कॉलेज से संलग्न अस्पताल,जो मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया/केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो, में आर॰एम॰ओ॰/हाउस फिजिशिन के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र;

(xi) जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में प्रकाशन के संबंध में प्रभारी प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/गाइड, जिसके अधीन पेपर तैयार किया हो, का प्रमाण पत्र;

(xii) संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो;

(xiii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति;

(xiv) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति भी आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे;

(xv) आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(ii) 16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित एक लिफाफा (अनुक्रमांक निर्गत करने हेतु), जिसपर 40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(iii) इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न पता पर्ची **(Address Slip)** जिसपर विज्ञापन सं॰ एवं पद का नाम अंकित है, को लिफाफे पर चिपकाते हुए प्रेषक पर्ची **(Sender's Slip)** पर अपना पूरा पता अंकित करें।

16. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से विस्तृत सूचनाओं का प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

17. उपर्युक्त विज्ञापनों के संबंध में विस्तृत निदेश आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं बैंक चालान आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र से भिन्न, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

18. आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वंय जिम्मेवार होंगे।

03/8/17

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।